न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

P.N. 5/- 6/P.N.

विविध वाद संख्या– 72/2001

धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता

विनोद प्रसाद वगैरह ———————— प्रथम पक्ष

बनाम्

रामवृक्ष मिस्त्री वगैरह ———————————— द्वितीय पक्ष

12.01.2021

विवादी भूमि का विवरण

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	चौहद्दी
नामुदाग	190	1165	0.21 ½ डी0	उ0– नगीया देवी द0– राजदेव राम पू0– रास्ता प0– विक्रेता
नामुदाग	190	1165	0.75 डी0	उ0– जगदीश राम द0– विक्रेता पू0– रास्ता प0– विक्रेता
नामुदाग	190	1165	0.21½ डी0	उ0– प्रमोद प्र0 यादव वगैरह द0– जगदीश राम पू0– रास्ता प0– विक्रेता
नामुदाग	190	1165	0.5 डी0	उ0– विक्रेता द0– प्रमोद प्र0 यादव पू0– रास्ता प0– विक्रेता
नामुदाग	190	1165	0.9 डी0	उ0– सरस्वती देवी द0– प्रमोद प्र0 यादव पू0– नगीया देवी व रास्ता प0– परती पत्थर

म

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

नामुदाग	190	1165	0.41 ½ डी0	उ0– नगीया देवी वगै0 द0– नगीया देवी/ जगदीश राम पू0– रास्ता प0– विक्रेता
नामुदाग	190	1165	0.20 डी0	उ0– रामचँद्र राम वगै0 द0– नगीया देवी वगै0 पू0– रास्ता प0– परती पत्थर व अन्य
नामुदाग [illegible]	190	1165	0.92 डी0	उ0– नीज विक्रेता द0– सीवाना शिवपुर पू0– नीज विक्रेता प0– नीज विक्रेता
नामुदाग [illegible]	190	1165	0.41 ½ डी0	उ0– नीज विक्रेता द0– विक्रेता व दशरथ भुईयाँ पू0– पुनम देवी प0– जमुना राम
नामुदाग [illegible]	190	1165	0.34 ½ डी0	उ0– रामातार राम द0– मुनारीक राम पू0– रास्ता प0– नीज विक्रेता
नामुदाग [illegible]	190	1165	0.37 ½ डी0 कुल रकबा– 0.72 डी0	उ0– नीज विक्रेता द0– ऐजन पू0– ऐजन प0– बागीचा
नामुदाग [illegible]	190	1165	0.37 ½ डी0	उ0– नीज विक्रेता द0– विक्रेता व दशरथ भुईयाँ पू0– नाला प0– रामजतन भुईयाँ
नामुदाग [illegible]	190	1165	0.37 ½ डी0 कुल रकबा– 0.75 डी0	उ0– नीज विक्रेता द0– रामजतन भुईयाँ पू0– राजदेव राम वगै0 प0– नाला
नामुदाग [illegible]	190	1165	0.65 डी0	उ0– हुसैनी भुईयाँ द0– रास्ता पू0– रास्ता प0– नीज विक्रेता

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदे कार्य टिप्प सहि
2	

नामुदाग	190	1165	0.10 डी0	उ0– बुधीया देवी द0– जमुना राम पू0– नीज विक्रेता प0– नीज विक्रेता
नामुदाग [illegible]	1	1167	0.37 ¼ डी0	उ0– उपकार किशोर सिंह द0– श्रीमती मुनाका देवी पू0– राजेन्द्र मिस्त्री प0– रास्ता

यह प्रक्रिया थाना प्रभारी, छत्तरपुर, नौडीहा ओ0पी0 के अप्राथमिकी सं0– 1/2001 दिनांक 15.04.2001 के अवलोकन से संतुष्ट होकर धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया, जिसमें 1. विनोद प्रसाद पिता– सोहराई यादव, 2. प्रमोद प्रसाद पिता– राकेश यादव, 3. बसन्त कुमार पिता– जगदीश सिंह, 4. सुदामा सिंह पिता– रामअवतार सिंह, 5. महादेव भुईयाँ पिता– किशुन भुईयाँ, 6. त्रिवेणी प्रसाद सिंह पिता– स्व0 भुनेश्वर प्रसाद सिंह, 7. रामअवतार भुईयाँ 8. श्री भुईयाँ दोनो के पिता– ब्रह्मदेव भुईयाँ, 9. मुनारीक भुईयाँ पिता– सुखा भुईयाँ, 10. हुसैनी भुईयाँ पिता– महंग भुईयाँ, 11. रामजतन भुईयाँ पिता– ब्रह्मदेव भुईयाँ सभी ग्राम– नामुदाग, थाना– छत्तरपुर (वर्तमान थाना– नौडीहा बाजार) जिला– पलामू को प्रथम पक्ष एवं 1. रामवृक्ष मिस्त्री उर्फ भुखी मिस्त्री पिता– जीलू मिस्त्री, 2. महाबीर मिस्त्री, 3. रोयन मिस्त्री दोनो के पिता– स्व0 बउल मिस्त्री, 4. राजेश मिस्त्री, 5. युगल मिस्त्री, 6. गिरीवर मिस्त्री, 7. नन्दलाल मिस्त्री चारो के पिता– महाबीर मिस्त्री, 8. सुदेश्वर मिस्त्री, 9. गुनी मिस्त्री दोनो के पिता– रोयन मिस्त्री सभी ग्राम– नामुदाग, थाना

– छत्तरपुर, जिला– पलामू, 10. प्रसाद भुईयाँ पिता– भुखी भुईयाँ, 11. कृचु भुईयाँ पिता– स्व0 गोवर्धन भुईयाँ, 12. बिगन भुईयाँ पिता– रामधारी भुईयाँ, 13. अमृत भुईयाँ, 14. विलाश भुईयाँ दोनो के पिता– स्व0 कालिक भुईयाँ, 15. रामलगन भुईयाँ पिता– स्व0 शालिक भुईयाँ, 16. नागेश्वर भुईयाँ, 17. जनेश्वर भुईयाँ, 18. इन्दर भुईयाँ तीनो के पिता– एतवारू भुईयाँ, 19. रामपति राम पिता– शिवशंकर राम, सभी ग्राम– शिवपुर, थाना– छत्तरपुर (वर्तमान थाना– नौडीहा बाजार), जिला– पलामू को द्वितीय पक्ष बनाया गया है। उक्त के आलोक मे उभय पक्ष को नोटिस निर्गत कर वाद भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गई। नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किए। दिनांक 07.07.2001 को सुनवाई के उपरांत उक्त वाद को धारा 145 दं0प्र0सं0 में परिवर्तित करते हुए उभय पक्ष से लिखित कथन की मांग की गई। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं प्रथम पक्ष की ओर से लिखित कथन दाखिल किया गया। प्रथम पक्ष कि ओर से पाँच एवं द्वितीय पक्ष की ओर से चार गवाहों की गवाही लिया गया। उभय पक्ष की ओर से लिखित बहस दाखिल किया गया। उभय पक्ष के विद्व अधिवक्ता के बहस को सुना।

प्रथम पक्ष के ओर से दाखिल लिखित बहस का सार है कि मौजा– नामुदाग के खाता सं0– 190, प्लॉट सं0– 1165,

क्रम	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई टिप्पणी सहित
	2	
	रकबा– 24.75 एकड़ तथा खाता सं0– 1, प्लॉट सं0– 1167, रकबा– 4.33 एकड़ भूमि त्रिवेणी सिंह, नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह एवं उपकार किशोर सिंह को उक्त भूमि का रिटर्न त्रिवेणी प्रसाद सिंह वगैरह के नाम पर है तथा उक्त भूमि का AR Case No- 12/1961- 62 के द्वारा लगान निर्धारण हुआ है। उक्त भूमि पर त्रिवेणी प्रसाद सिंह वगैरह का दखल– कब्जा एवं स्वामित्व कायम हुआ था। त्रिवेणी प्रसाद सिंह, नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह एवं उपकार किशोर सिंह से प्रश्नगत भूमि दिनांक 29.12.1998 को निबंधित विक्रय पत्र सं0– 2879, 2880, 2881, एवं 2882 के द्वारा 1.23 एकड़, दिनांक 08.06.1999 को निबंधित विक्रय पत्र सं0– 4102, 4103, 4104, 4105 एवं 4108 के द्वारा 3.55½ एकड़ एवं दिनांक 11.01.1999 को निबंधित विक्रय पत्र सं0– 49, 50 एवं 51 के द्वारा 0.77 ½ एकड़ तथा दिनांक 15.06.1999 को निबंधित विक्रय पत्र सं0– 4597 के द्वारा 0.33 ¾ एकड़ भूमि उचित जरसमन देकर प्रथम पक्ष के सदस्यों ने प्राप्त किया है। खरिदगी के पश्चात उपरोक्त भूमि पर शांतिपूर्वक दखल– कब्जा एवं स्वामित्व प्रथम पक्ष का चला आ रहा है। खरिदगी भूमि के नामान्तरण के लिए क्रेतागण अंचल कार्यालय में आवेदन पत्र दिए और आवेदन पत्र के आलोक में उपरोक्त भूमि नामान्तरण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात नामान्तरण स्वीकृत हुआ, जिसके बाद –	

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

उपरोक्त भूमि का सरकारी लगान रसीद निर्गत होते चला आ रहा है। इस वाद में प्रक्रिया के दौरान प्रथम पक्ष के क्रम सं0– 9. मुनारिक भुईयाँ के मृत्यु के पश्चात उनके स्थान पर उनके वारिशानो को पक्षकार बनाया गया तथा प्रक्रिया के दौरान द्वितीय पक्ष के क्रम सं0– 2. महाबीर मिस्त्री, 3. रोयन मिस्त्री, 8. प्रसाद भुईयाँ एवं 19. रामपति राम के मृत्यु के पश्चात उनके वारिशान को इस वाद में पक्षकार बनाया गया। प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल मूल विक्रय पत्र, सरकारी लगान रसीद, पार्टिशन सूट सं0– 50/1918 एवं रिटर्न दाखिल किया गया, जिसे न्यायालय के द्वारा पदर्श अंकित किया गया है। विविध वाद सं0– 69/2015 धारा 144 दं0प्र0सं0 शिवशंकर प्रसाद बनाम् रामवृक्ष मिस्त्री के बीच मौजा– नामुदाग, खाता सं0– 190, प्लॉट सं0– 1165, रकबा– 2.06 ¼ एकड़ पर वाद चला था, जिसमें दिनांक 04.06.2016 को प्रथम पक्ष के पक्ष में आदेश पारित हुआ है। ज्ञात हो कि रामवृक्ष मिस्त्री इस वाद में द्वितीय पक्ष हैं। द्वितीय पक्ष द्वारा जो गवाह इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, उन्हें प्रक्रिया भूमि के बारे कुछ पता नहीं है और ना ही उनकी गवाही इस वाद में विचारनीय है तथा विपक्षी इस वाद को प्रमाणित करने में असफल रहे है। द्वितीय पक्ष द्वारा जो फोटो न्यायालय में दाखिल किया गया है वह फोटो यह नहीं प्रमाणित करता है कि किस खाता एवं प्लॉट पर मकान अवस्थित है। प्रश्नगत भूमि

क्रम	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्य टिप्पणी सहित
	2	

पर प्रथम पक्ष का दखल– कब्जा एवं स्वामित्व है।

द्वितीय पक्ष कि ओर से दाखिल लिखित बहस का सार है कि इस वाद के सदस्य सं0– 3. त्रिवेणी प्रसाद सिंह पिता– स्व0 भुनेश्वर सिंह की मृत्यु हो गई है उसके स्थान पर धारा 145 दं0प्र0सं0 की धारा 7 के अंतर्गत त्रिवेणी प्रसाद सिंह के स्थान पर इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया, जिसके कारण यह वाद त्रुटिपूर्ण है, उसी प्रकार द्वितीय पक्ष के कुछ सदस्य की मृत्यु हो गई है और उसके स्थान पर प्रथम पक्ष के द्वारा मृत पक्षकार के वंशज को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिससे यह वाद खारिज होने के योग्य है। इस वाद में उभय पक्ष के लिखित कथन एवं गवाही के तुलनात्मक अवलोकन करने एवं विश्लेषण करने पर पाएंगे कि इस वाद के भूमि के ऊपर द्वितीय पक्ष के सदस्यगण का जमीन्दारी उन्मूलन के पूर्व से ही शांतिपूर्ण दखल– कब्जा स्थापित है और द्वितीय पक्ष के सदस्यगण का मकान अवस्थित है तथा परिवार के साथ रहते चले आ रहे हैं। प्रथम पक्ष का इस वाद के भूमि के ऊपर दखल– कब्जा काल्पनिक, निराधार एवं बेबुनियाद है तथा प्रथम पक्ष कभी भी इस वाद के भूमि के ऊपर दखल– कब्जे में नहीं रहे हैं। वाद भूमि के ऊपर 44 व्यक्तियों का आवासीय मकान अवस्थित है। प्रथम पक्ष का दखल– कब्जा का दावा कालबाधित है तथा प्रथम पक्ष के विक्रेता त्रिवेणी सिंह का दखल– कब्जा कभी नहीं रहा था, उन्होने विवाद उत्पन्न करने के नियत से

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

प्रथम पक्ष के पक्ष में निराधार विक्रय पत्र का निष्पादन किया तथा प्रथम पक्ष ने त्रिवेणी सिंह के विक्रय पत्र के आधार पर कभी भी दाखिल- काबीज नहीं हुए और प्रथम पक्ष का दखल- कब्जा का दावा बेबुनियाद एवं निराधार है। द्वितीय पक्ष के सदस्यगण गरीब हरिजन एवं पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। द्वितीय पक्ष के पूर्वज जमीन्दारी उन्मूलन के पूर्व ग्राम- नामुदाग के भूतपूर्व जमीन्दार के यहां मजदूरी- बेगारी वगैरह किया करते थे, इसलिए भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा द्वितीय पक्ष के पूर्वजों को इस वाद के भूमि के ऊपर बसाया गया था और द्वितीय पक्ष अपने पूर्वज के समय से इस वाद के भूमि के ऊपर दाखिल- काबिज हैं तथा मकान बनाकर परिवार के साथ रहते चले आ रहे हैं। वर्तमान में द्वितीय पक्ष के सभी सदस्यों को प्रधान मंत्री आवास आवंटित हुआ है। ज्ञात हो कि छत्तपुर थाना काण्ड सं0- 15/1999 के अनुशंधान के क्रम में इस वाद के भूमि के ऊपर द्वितीय पक्ष का दखल- कब्जा पाया गया है।

प्रथम पक्ष के ओर से 5 (पॉच) साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गय है जो इस प्रकार है:-

प्रथम पक्ष साक्षि संख्या- 01 :- योगेन्द्र राम पिता- स्व0 शिवशंकर राम, ग्राम- शिवपुर, थाना- छत्तरपुर (वर्तमान- नौडीहा बाजार), जिला- पलामू ने अपने परिक्षण में प्रक्रिया अंतर्गत भूमि में प्रथम पक्ष का जोत- कोड़ होने की बात कही है।

क्रम	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवा टिप्पणी सहित
	2	

प्रथम पक्ष साक्षि संख्या– 02 :– नन्दु राम पिता– स्व0 हुसैनी राम, ग्राम– नामुदाग, थाना– छत्तरपुर (वर्तमान थाना– नौडीहा बाजार), जिला– पलामू ने अपने परिक्षण में प्रक्रिया अंतर्गत भूमि केवाला से क्रय करने एवं भूमि क्रय के पूर्व त्रिवेणी सिंह का उक्ज भूमि पर दखल– कब्जा बताया गया है।

प्रथम पक्ष साक्षि संख्या– 03 :– बिनोद प्रसाद पिता– सोहराई यादव, ग्राम– नामुदाग, थाना– छत्तरपुर (वर्तमान थाना– नौडीहा बाजार), जिला– पलामू ने अपने प्रतिपरिक्षण में प्रक्रिया अंतर्गत भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल– कब्जा बताया गया है।

प्रथम पक्ष साक्षि संख्या– 04 :– चतुरी भुईयाँ पिता– हुसैनी भुईयाँ, ग्राम– शिवपुर, थाना– छत्तरपुर (वर्तमान थाना– नौडीहा बाजार), जिला– पलामू ने अपने प्रतिपरिक्षण में प्रक्रिया अंतर्गत भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल– कब्जा बताया है।

प्रथम पक्ष साक्षि संख्या– 05 :– त्रिवेणी प्रसाद सिंह पिता– स्व0 भुनेश्वर प्रसाद सिंह, ग्राम– नौडीहा बाजार, थाना– छत्तरपुर (वर्तमान थाना– नौडीहा बाजार), जिला– पलामू ने अपने प्रतिपरिक्षण में प्रक्रिया अंतर्गत भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल– कब्जा बताया है।

द्वितीय पक्ष के ओर से 4 (चार) साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जो इस प्राकर है:–

द्वितीय पक्ष साक्षि संख्या– 01 :– सिपाही भुईयाँ पिता– स्व0 माहन भुईयाँ, ग्राम– शिवपुर, थाना– छत्तरपुर (वर्तमान थाना–

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

नौडीहा बाजार), जिला– पलामू ने अपने प्रतिपरिक्षण में विवादी भूमि को प्रथम पक्ष को खरिद नहीं करने एवं भूमि को जंगल झाडी बताया गया है, साथ ही उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष को दखल– कब्जा धारी बताया गया है एवं वाद भूमि से सरोकार होने के कारण गवाही देने आए हैं बतलाया गया है।

द्वितीय पक्ष साक्षि संख्या– 02 :– राम सुन्दर भुईयाँ पिता– शालिक भुईयाँ, ग्राम– शिवपुर, थाना– छत्तरपुर (वर्तमान थाना– नौडीहा बाजार), जिला– पलामू ने अपने प्रतिपरिक्षण में द्वितीय पक्ष द्वारा 100.00 (एक सौ) रूपये मजदुरी लेकर गवाही देने आने की बात बताई गई पुनः अपने मन से गवाही देने आने की बात कही गई है।

द्वितीय पक्ष साक्षि संख्या– 03 :– नन्दकिशोर राम पिता– मुसाफीर राम, ग्राम– शिवपुर, थाना– नौडीहा बाजार, जिला– पलामू ने अपने प्रतिपरिक्षण में प्रक्रिया अंतर्गत भूमि पर आज के तिथि में प्रथम पक्ष का दखल– कब्जा नहीं होना बताया गया है।

द्वितीय पक्ष साक्षि संख्या– 04 :– भुनेश्वर भुईयाँ पिता– स्व0 राम प्रसाद भुईयाँ, ग्राम– नामुदाग, थाना– नौडीहा बाजार, जिला– पलामू ने अपने प्रतिपरिक्षण में प्रक्रिया अंतर्गत भूमि प्रथम पक्ष द्वारा केवाला से क्रय करना बताया गया है तथा वाद भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल– कब्जा नहीं होना बताया गया है।

प्रथम पक्ष के द्वारा निम्नांकित दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में दाखिल किया गया है, जिसे न्यायालय के द्वारा प्रदर्श के

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
2

रूप में अंकित किया गया है।

प्रथम पक्ष की ओर दाखिल दस्तावेज लगान रसीद संo– 3909526 को प्रदर्श "1", लगान रसीद संo– 1283612 को प्रदर्श "1/1", लगान रसीद संo– 1282967 को प्रदर्श "1/2", लगान रसीद संo– 1282944 को प्रदर्श "1/3", लगान रसीद संo– 1282942 को प्रदर्श "1/4", लगान रसीद संo– 1211317 को प्रदर्श "1/5", लगान रसीद संo– 5211318 को प्रदर्श "1/6", निबंधित विक्र पत्र संo– 51–1999 को प्रदर्श "2", निबंधित विक्रय पत्र संo– 2881/98 को प्रदर्श "2/1", निबंधित विक्रय पत्र संo– 2879/98 को प्रदर्श "2/2", निबंधित विक्रय पत्र संo– 4103/99 को प्रदर्श "2/3", निबंधित विक्रय पत्र संo– 4597/99 को प्रदर्श "2/4", निबंधित विक्रय पत्र संo– 4102/89 को प्रदर्श "2/5", निबंधित विक्रय पत्र संo– 4108/99 को प्रदर्श "2/6", निबंधित विक्रय पत्र संo– 2882/98 को प्रदर्श "2/7" एवं पार्टिशन सूट संo– 50/1918 के अंतिम आदेश की सच्ची प्रतिलिपि को प्रदर्श "3" के रूप में अंकित किया गया है।

द्वितीय पक्ष कि ओर से वाद भूमि पर निम्नांकित व्यक्तियों का मकान अवस्थित होने को लेकर फोटो साक्ष्य के रूप में दाखिल किया गया है, जिसे –

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

न्यायालय के द्वारा प्रदर्श अंकित किया गया है।

द्वितीय पक्ष के ओर से दाखिल 1. रामवृक्ष मिस्त्री पिता– स्व0 जिलू मिस्त्री, ग्राम– नामुदाग, थाना– नौडीहा बाजार, जिला– पलामू के घर के फोटो को प्रदर्श "A", 2. गुनी मिस्त्री पिता– स्व0 रोयन मिस्त्री, ग्राम– नामुदाग, थाना– नौडीहा बाजार, जिला– पलामू के घर के फोटो को प्रदर्श "A/1", 3. राजेश मिस्त्री पिता– स्व0 महाबीर मिस्त्री, ग्राम– नामुदाग, थाना– नौडीहा बाजार, जिला– पलामू के घर के फोटो को प्रदर्श "A/2", 4. युगल मिस्त्री पिता– स्व0 महाबीर मिस्त्री, ग्राम– नामुदाग, थाना– नौडीहा बाजार, जिला– पलामू के घर के फोटो को प्रदर्श "A/3", 5. भिखारी मिस्त्री पिता– स्व0 महाबीर मिस्त्री, ग्राम– नामुदाग, थाना– नौडीहा बाजार, जिला– पलामू के घर के फोटो को प्रदर्श "A/4", 6. नन्दलाल मिस्त्री पिता– स्व0 महाबीर मिस्त्री, ग्राम– नामुदाग, थाना– नौडीहा बाजार, जिला– पलामू के घर के फोटो को प्रदर्श "A/5", 7. इन्दर भुईयाँ पिता– स्व0 वृक्ष भुईयाँ, ग्राम– नामुदाग, थाना– नौडीहा बाजार, जिला– पलामू के घर के फोटो को प्रदर्श "A/6", 8. लखन भुईयाँ पिता– रामेश्वर भुईयाँ, ग्राम– नामुदाग, थाना– नौडीहा बाजार, जिला– पलामू के घर के फोटो को प्रदर्श "A/7", 9. बबन भुईयाँ पिता– रामेश्वर भुईयाँ ग्राम– नामुदाग, थाना– नौडीहा बाजार, –

क्रम र	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आ का टि सं
	2	
	जिला— पलामू के घर के फोटो को प्रदर्श "A/8", 10. नारायण भुईयाँ पिता— सिपाही भुईयाँ, ग्राम— नामुदाग, थाना— नौडीहा बाजार, जिला— पलामू के घर के फोटो को प्रदर्श "A/7", 11. कुचु भुईयाँ पिता— स्व0 नागा भुईयाँ, ग्राम— नामुदाग, थाना— नौडीहा बाजार, जिला— पलामू के घर के फोटो को प्रदर्श "A/10", 12. रामेश्वर भुईयाँ पिता— स्व0 शालीक भुईयाँ, ग्राम— नामुदाग, थाना— नौडीहा बाजार, जिला— पलामू के घर के फोटो को प्रदर्श "A/11", 13. राम प्रवेश भुईयाँ पिता— कुचु भुईयाँ, ग्राम— नामुदाग, थाना— नौडीहा बाजार, जिला— पलामू के घर के फोटो को प्रदर्श "A/12", 14 सुमुन्दी कुंवर पति— स्व0 राम प्रसाद भुईयाँ, ग्राम— नामुदाग, थाना— नौडीहा बाजार, जिला— पलामू के घर के फोटो को प्रदर्श "A/13", 15. पार्वती देवी पति— स्व0 लखन भुईयाँ, ग्राम— नामुदाग, थाना— नौडीहा बाजार, जिला— पलामू के घर के फोटो को प्रदर्श "A/14", 16. नन्दकेशर राम पिता— स्व0 मुसाफीर राम, ग्राम— नामुदाग, थाना— नौडीहा बाजार, जिला— पलामू के घर के फोटो को प्रदर्श "A/15", 17. उपेन्द्र भुईयाँ पिता— गणेशी भुईयाँ, ग्राम— नामुदाग, थाना— नौडीहा बाजार, जिला— पलामू के घर के फोटो को प्रदर्श "A/16", 18. सकेन्द्र भुईयाँ पिता— गणेशी भुईयाँ, ग्राम— नामुदाग, थाना—	

म

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

नौडीहा बाजार, जिला– पलामू के घर के फोटो को प्रदर्श "A/17", 19. गणेशी भुईयाँ पिता– स्व0 केशो भुईयाँ, ग्राम– नामुदाग, थाना– नौडीहा बाजार, जिला– पलामू के घर के फोटो को प्रदर्श "A/18", 20. जटाई भुईयाँ पिता– रामेश्वर भुईयाँ, ग्राम– नामुदाग, थाना– नौडीहा बाजार, जिला– पलामू के घर के फोटो को प्रदर्श "A/19", 21. गोविन्द भुईयाँ पिता– स्व0 रघु भुईयाँ, ग्राम– नामुदाग, थाना– नौडीहा बाजार, जिला– पलामू के घर के फोटो को प्रदर्श "A/20", 22. विजय भुईयाँ पिता– सिपाही भुईयाँ, ग्राम– नामुदाग, थाना– नौडीहा बाजार, जिला– पलामू के घर के फोटो को प्रदर्श "A/21", 23. नरेश भुईयाँ पिता– कुचु भुईयाँ, ग्राम– नामुदाग, थाना– नौडीहा बाजार, जिला– पलामू के घर के फोटो को प्रदर्श "A/22", 24. भीम भुईयाँ पिता– स्व0 मानकी भुईयाँ, ग्राम– नामुदाग, थाना– नौडीहा बाजार, जिला– पलामू के घर के फोटो को प्रदर्श "A/23", 25. नन्दु भुईयाँ पिता– स्व0 कालीक भुईयाँ, ग्राम– नामुदाग, थाना– नौडीहा बाजार, जिला– पलामू के घर के फोटो को प्रदर्श "A/24", 26. राम सुन्दर भुईयाँ पिता– स्व0 शालीक भुईयाँ, ग्राम– नामुदाग, थाना– नौडीहा बाजार, जिला– पलामू के घर के फोटो को प्रदर्श "A/25", 27. सिपाही भुईयाँ पिता– स्व0 महंग भुईयाँ, ग्राम– नामुदाग, थाना– नौडीहा बाजार, जिला– पलामू के

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

घर के फोटो को प्रदर्श "A/26" एवं 28. पनपतिया कुंवर पति— स्व0 फुला भुईयाँ, ग्राम— नामुदाग, थाना— नौडीहा बाजार, जिला— पलामू के घर के फोटो को प्रदर्श "A/27" के रूप में अंकित किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुना। अवलोकन एवं परिशीलन से यह न्यायालय इस निश्कर्ष पर पहुँचती है कि वाद भूमि पर प्रक्रिया प्रारम्भ होने कि तिथि के पूर्व से प्रथम पक्ष का दखल— कब्जा विद्यमान रहा है। अतः प्रक्रिया अंतर्गत भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल— कब्जा घोषित किया जाता है तथा द्वितीय पक्ष को प्रक्रिया अंतर्गत भूमि पर जाने से तब तक के लिए रोक लगाई जाती है, जब तक सक्षम न्यायालय का अन्यथा कोई आदेश पारित न हो जाय।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

Digitally signed by HEERA KUMAR
Date: 2024.07.26 15:16:46 +05:30
Location: 192.168.1.2